अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 159/2014

अपीलार्थी – श्यामा देवी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार एंव अन्य

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 669 दिनांक 29.01.2014 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है।

इस आँगनबाड़ी अपीलवाद में आरोप यह है कि श्रीमती कल्याणी कुमारी महिला पर्यवेक्षिका छातापुर द्वारा दिनांक 12.03.2013 को केन्द्र सं0– 77 (उत्तम लाल सादा के घर के निकट) निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय केन्द्र बंद पाया गया। केन्द्र बंद रहने के आरोप में कार्यालय ज्ञापांक 853/प्रो0 दिनांक 24.06.2013 द्वारा सेविका श्रीमती श्यामा देवी से स्पष्टीकरण की माँग की गई। दिनांक 29.06.2013 को सेविका (अपीलार्थी) श्रीमती श्यामा देवी अपने स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित हुई। अपने स्पष्टीकरण में सेविका ने बताया कि निरीक्षण तिथि को अचानक मेरी तबियत खराब हो गई एवं मैं अपने ईलाज हेतु डॉ0 से दिखलाने सुपौल चली गई, एवं सहायिका प्रशिक्षण में चली गई थी फलस्वरूप केन्द्र बंद पाया गया मैं जान–बूझ कर केन्द्र बंद नहीं किया।

इस आँगनबाड़ी अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में हुई जिसमें अपीलार्थी की और से विद्वान

अधिवक्ता/सरकारी अधिवक्ता ने सुनवाई में भाग लिया एवं अपना – अपना पक्ष, साक्ष्य,कागजात प्रस्तुत किए। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि दिनांक 12.03.2013 को निरीक्षण के दिन ही अपीलार्थी (सेविका) को अचानक पेट में काफी दर्द होने के कारण अत्यधिक तबियत खराब हो गई तथा सहायिका उक्त तिथि को प्रशिक्षण में थी जिस कारण से सर्वप्रथम अपना ईलाज कराने हेतु डॉ0 के पास सुपौल चली गई थी जिस वजह से केन्द्र संचालित नहीं कर पाई, उन्होंने जान–बूझ कर केन्द्र बंद नहीं की बल्कि बीमारी की वजह से वे ईलाज हेतु डॉ0 के पास चली गई थी चिकित्सा प्रमाण पत्र भी अवलोकन कराया गया किन्तु निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा यह लिखते हुए बताया कि केन्द्र का संचालन का भार सामाजिक अंकेक्षण समीति के अध्यक्ष, सदस्य या किशोरी को सौप कर पोषाहार का लाभ तो लाभुक को दिया जा सकता था ऐसा नहीं करना विभागीय नियमों का उल्लंघन है तथा इन्हीं अनियमितता को दर्शाते हुए चयन मुक्ति आदेश पारित किया गया जिसमें यह भी अंकित किया गया कि तीन माह का पोषाहार राशि का वसूली भी अपीलार्थी से किया जाय जो आदेश सर्वथा अनुचित एवं त्रुटिपूर्ण आदेश है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाता है तो उस वक्त सर्वप्रथम ईलाज की आवश्यकता होती है न कि कर्तव्य निर्वहन करना आवश्यक होता है। अगर सहायिका प्रशिक्षण में नहीं गई होती तो केन्द्र खुलता पोषाहार भी बनाया जाता चूँकि सहायिका प्रशिक्षण में थी इसलिए केन्द्र का बंद हो जाना स्वाभाविक है अगर अंकेक्षण समीति के सदस्य अथवा किशोरी को पोषाहार बनाने के लिए दे भी दिया जाता तो पोषाहार किसके द्वारा बनाया जाता किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए चिकित्सक के चिकित्सा प्रमाण पत्र जो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत भी किया गया था को दर किनार करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिंद्वान के विपरीत जाकर चयन मुक्ति का का आदेश पारित किया गया जो त्रुटिपूर्ण है खंडित करने योग्य है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना द्वारा कई मामलो में यह आदेश पारित किया गया है के एक दिन अनाधिकृत रूप. से अनुपस्थित रहने पर या केन्द्र बंद रहने के स्थिति में भी चयन मुक्ति जैसा कठोर आदेश पारित किया त्रुटिपूर्ण निर्णय है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी इस न्यायालय को बताया कि निम्न न्यायालय, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल खुद तो विभागीय नियमों का पालन नहीं किए है जो इस प्रकार समझा जा सकता है कि इस वाद का अंतिम सुनवाई 29.06.2013 को किया गया एवं चयन मुक्ति आदेश 29.01.2014 को पारित किया गया जबकि विभागीय मार्गदर्शिका की कंडिका 10.5 में स्पष्ट निर्देशित है कि संबंधित पक्षकारों को सुनकर 30 दिनों के भीतर मुखर आदेश पारित करेंगे किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया जो इस प्रकार यह आदेश खंडित करने योग्य है।

अपीलार्थी की अधिवक्ता ने यह भी बताया कि अपीलार्थी के पति पैर से बिल्कूल ही विकलांग है एवं परिवार का एक मात्र सहारा जीवको पार्जन का एक मात्र सहारा सेविका ही थी चयन मुक्ति करने से पुरा परिवार,बाल–बच्चें पुत्री इस मंहगाई के युग में भुखमरी के शिकार हो गए है। सेविका नियुक्ति तिथि से कभी भी अनुपस्थित नहीं रहीं है मात्र एक दिन 12.03.2013 को बीमारी की वजह से अनुपस्थित हुई। मात्र एक दिन केन्द्र बंद होने के कारण चयन मुक्त किया जाना आदेश नियमतः उचित प्रतीत नहीं होता है जबकि पोषक क्षेत्र के लाभुक, जनप्रतिनिधि मुखिया/सरपंच,वार्ड सदस्य ने अपीलार्थी के कार्यो की सराहना/प्रशंशा की है अतः मानवनीय दृष्टिकोण से भी चयन मुक्ति आदेश को खंडित करने योग्य है।

उपरोक्त सारे विवेचनाओ एवं निष्कर्षो के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अपीलार्थी निर्दोष है मात्र एक दिन अनुपस्थित रहने के ऐवज में इतने कड़े दंड चयन मुक्ति का देना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के सर्वथा विपरीत है मानव का शरीर भी एक प्रकार का यांत्रिक मशीन है कभी भी किसी व्यक्ति को एक दो दिन तबियत अचानक खराब हो सकती है इस आधार पर उसे सेवा से हटा देना त्रुटिपूर्ण आदेश है ज्यादा से ज्यादा उसे कुछ लघु दंड दिया जा सकता है। अतः यह न्यायालय अपीलार्थी सेविका को मात्र अनुपस्थित माह का एक महीने का मानदेय अवरूद्ध करते हुए आदेश निर्गत तिथि से अपीलार्थी सेविका का चयन बरकरार रखा जाता है। वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.5.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.5.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा